न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2017 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 01.12.2017
G.C.M.S. NO. :_ 2017/00107

श्री बालू पिता मोहन जाट आयु 60 वर्ष, निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–श्री मांगीलाल पिता उदयराम सुखवाल ब्राह्मण आयु 55 वर्ष, निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत पावली, तहसील राशमी जरिये सचिव, ग्राम पंचायत पावली, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 010778 दिनांक 30.05.1997 ग्राम पंचायत पावली

उपस्थिति : 1–श्री चम्पालाल जाट, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रकरण संख्या 39/2017 (नि.पं.)
श्री बालू पिता मोहन जाट निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी बनाम श्री मांगीलाल पिता उदयराम सुखवाल निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत पावली द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी निः शुल्क पट्टा संख्या 010778 दिनांक 30.05.1997 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। उक्त प्लॉट की लम्बाई एवं चौड़ाई 90 बाई 60 फीट है जिसके चारों तरफ तारबंदी करा निगराकार बाडे के रूप में उपयोग ले रहा है जो निगराकार का पुश्तैनी है। इसी स्थान का विवादित पट्टा तत्कालीन सरपंच बद्रीलाल ने हस्ताक्षरित दिनांक 30.05.1997 का जारी किया है जो पूर्णतया अवैध है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत पावली द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी निः शुल्क पट्टा निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत पावली से पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब करने पर ग्राम विकास अधिकारी, पावली ने उक्त पट्टे से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि ग्राम नारायणपुरा स्थित निगराकार का पुश्तैनी एवं स्वामित्व का भूखण्ड जिसकी लम्बाई एवं चौड़ाई 90 बाई 60 फीट है जिसके चारों ओर तारबंदी कराकर निगराकार उसको बाडे के रूप में उपयोग ले रहा है अधीनस्थ ग्राम पंचायत पावली ने बिना जांच पड़ताल किए निगराकार के स्वामित्व एवं पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा संख्या 010778 दिनांक 30.05.1997 को गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया जो कि निः शुल्क जारी किया है जबकि गैर निगराकार निः शुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र ही नहीं था। इसी प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के भाई के पक्ष में भी निः शुल्क पट्टा निगराकार के स्वामित्व के भूखण्ड पर ही बिना जांच पड़ताल किए जारी किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल कायम नहीं की, मौका निरीक्षण नहीं किया और ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र/उजरदारी नोटिस जारी किया सारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से करते हुए तत्कालीन सरंपच ने गैर निगराकार संख्या 1 को अनुचित लाभ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पहुंचाने की नियत से यह निः शुल्क पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत पावली द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 010778 दिनांक 30.05.1997 निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत पावली द्वारा ग्राम नारायणपुरा में गैर निगराकार संख्या 1 को 90 बाई 60 फीट का पट्टा संख्या 010778 दिनांक 30.05.1997 को जारी किया है जो पूर्णतया वैध होकर विधि–सम्मत् कार्यवाही करते हुए जारी किया है। विवादित भूखण्ड हल्के आबादी में अवस्थित होकर उस पर निगराकार का स्वामित्व एवं निगराकार का पुश्तैनी होना गलत तथ्य है। आबादी भूमि पर पट्टा जारी करने का अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार है उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 1 का भाई सुरेश गैर निगराकार से अलग निवास करता है जिससे उसे भी भूखण्ड की आवश्यकता थी इसलिए उसे ग्राम पंचायत द्वारा अलग से पट्टा जारी किया है जो गैर निगराकार संख्या 1 के उत्तर में 60 बाई 40 फीट का जारी किया है जिसके लिए गैर निगराकार संख्या 1 का भाई पात्र था। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने खाली भूखण्ड का विधिवत् पट्टा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है उक्त भूखण्ड मे निगराकार द्वारा दखलअंदाजी करने से गैर निगराकार संख्या 1 ने उसके भाई सुरेश के साथ मिलकर निगराकार के विरूद्ध सिविल न्यायालय राशमी मे वाद प्रस्तुत किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की गई है। अतः धारा 10 सी. पी. सी. के तहत कार्यवाही निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया जिसके अनुसार पत्रावली में उपलब्ध विवादित पट्टे की प्रति का अवलोकन करने के पश्चात् हम यहां सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा 90 बाई 60 फीट का नहीं होकर 60 बाई 40 फीट का है। गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पत्रावली में उपलब्ध पट्टा संख्या 010778 दिनांक 30.05.1997 एवं गैर निगराकार संख्या 1 के भाई सुरेश के पक्ष में जारी पट्टा संख्या – दिनांक 30.05.1997 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत पावली द्वारा उक्त दोनों पट्टे अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों, लघु सीमान्त कृषक को आबादी भूमि मे से निः शुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन का प्रपत्र के तहत निः शुल्क जारी किए गए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिनांक 30.05.1997 में जारी दोनों निः शुल्क पट्टे अलग-अलग पट्टा बुकों से जारी किये गये हैं इसका औचित्य सिद्ध नहीं है।

राज. पंचायती राज नियम, 1996 नियम 158 के अनुसारः-''पंचायत अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहिन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनमें गृह-स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, को ग्रामीण आबादी में 150 वर्ग गज आबादी, भूमि का मुफ्त आवंटन भी कर सकती है।'' लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को 2400 वर्गफीट अर्थात् 266.66 वर्ग गज के भूखण्ड का निः शुल्क आवंटन किया गया है जो कि किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता जबकि गैर निगराकार संख्या 1 इस नियम के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति ही नहीं है तथा न ही गैर निगराकार संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिससे उसके निः शुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र होने की पुष्टि होती हो।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उक्त पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख उपलब्ध नहीं होने का अंकन करना इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड आवंटन से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं की गई। पंचायत के सदस्यों/नियुक्त पंचों द्वारा पर्चा मौका एवं नक्शा भी नहीं बनाया गया, न ही निः शुल्क आवंटन किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया तथा न ही आपत्तियां आमन्त्रित की गयी है। इस प्रकार पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है।

राज्य सरकार द्वारा पात्र/गरीबों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से निः शुल्क भूखण्ड आवंटन किये जाने का प्रावधान भी किया गया है जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को मात्र 150 वर्गगज तक का ही भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त नियमों की अनदेखी करते हुए गैर निगराकार संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से 150 वर्ग गज से अधिक का लगभग 267 वर्ग गज भूखण्ड का निः शुल्क आवंटन किया गया है जबकि इस हेतु गैर निगराकार संख्या 1 पात्र ही नहीं था तथा न ही गैर निगराकार संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिससे उसके निः शुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र होने की पुष्टि होती हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 39/2017 (नि.पं.)
श्री बालू पिता मोहन जाट निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी बनाम श्री मांगीलाल पिता उदयराम सुखवाल निवासी नारायणपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को विधि-विरूद्ध निः शुल्क पट्टा जारी कर राजकोष को हानि पहुंचाई है। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 30.05.1997 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत पावली, पंचायत समिति, राशमी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 010778 दिनांक 30.05.1997 निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official